हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2015

संख्या का०आ० 150/के०अ० 42/2005/धा० 4/2015.— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 42), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, 2007, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाते हैं, अर्थात:—

1. यह स्कीम हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारन्टी (संशोधन) स्कीम, 2015, कही जा सकती है।

2. हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त स्कीम कहा गया है) में, पैरा 16 में, उप–पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित दर पर स्कीम के अधीन मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।"।

3. उक्त स्कीम में, अध्याय–6 तथा पैरा 37 के बाद, अंत में निम्नलिखित अध्याय तथा पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय– 7

विविध

38. (1) संसद द्वारा अधिनियम में किया गया कोई परिवर्धन, परिवर्तन अथवा संशोधन तिथि, जिसको इस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की गई, से इस स्कीम का स्वयंमेव भाग बन जाएगा ।

(2) यदि अधिनियम की धारा 29 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची I तथा II में कोई संशोधन किया जाता है, तो इस स्कीम के तत्स्थानी उपबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तिथि से तत्स्थानी संशोधित किए गए समझे जाएंगे।"।

नवराज संधू ,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।